

Form-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No: 1508 /DRA

Dated: 4/11/2020

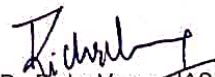
TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.899 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Outer Siraj Division HPPWD Nirmand** for construction of **link road from Thanda Pani to Sahagedhar via Maltha** in Kullu district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat, Durah** in Sub Tehsil Neether.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.899** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Dr. Richa Verma, IAS)
District Collector,
Kullu.

5

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Dr. Richa Verma (I.A.S), Kullu on 19-10-2020 at 11:00 AM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchyat, Durah forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

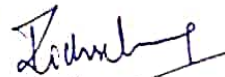
After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application:-

Name of Applicant

Executive Engineer,
Outer Seraj Division (HPPWD)
Nirmand District Kullu (HP)

Place: Kullu

Decision (Admitted/Rejected)
Admitted



DC-cum Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) ANNI, DISTT. KULLU H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee Constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

Meeting of the Sub Divisional Level Committee of Anni Sub Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship /Chairpersonship of Sh. Chet Singh (HAS) SDO@, Anni on dated 15-09-2020, 2.00 PM at Anni (place) in which the applications claiming Rights in the Conserved forest areas under FRA, 2006 of the following applications duly processed and recommended by the Forest Rights Committee of G.P. Dhera, Bhalsi, Nore Kot & Bari and Durha, Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendations to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following decisions were taken on the each application.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest Detail of the Forest Rights
1.	DSP Anni Distt. Kullu (Construction of building Police Chowki Nither)	Nither Beat
2.	Executive Engineer Jal shakti Division Anni (Construction of L.I.S. Satangidhar Khubu)	Buini Beat
3.	Executive Engineer Jal shakti Division Anni (Construction of Various Water supply scheme for Chail Sarahan)	Katmore Beat
4.	Executive Engineer Jal shakti Division Anni (Construction of Various Water supply scheme on left Bank Kurpan Khad)	Buini & Pali Beat
5.	Executive Engineer Outer Siraj Division HPPWD Division Nirman Distt. Kullu. (Construction Of link road Thanda Pani to Sahagedhar via Maltha)	Sarahar Beat

Claims of the Following Applications were not found in order and rejected

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest Detail of the Forest Rights
1.	Nil	
2.	Nil	
3.	Nil	
4.	Nil	
5.	Nil	

As informed by FRC Dhera Bhalsi Nore Kot & Bari and Durha Applications was/were received ...
that ... Nore Kot & Bari and ... Forest area

Attested
Sub Divisional Officer (C)
Anni Distt. Kullu H.P.

S.D.O. (C) - cum-Chairmanship/ Chair ...
SDLC, Anni, District Kullu H.P.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत... दुराह
विकास खण्ड... निरमण्ड जिला... कुन्तू (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति... नरेश कुमार

दिनांक 01-07-2018

गणपूर्ति... 254 / 498

प्रस्ताव संख्या... 16

विषय: निरमण्ड ग्राम पंचायत दुराह विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुन्तू हि0प्र0 विभाग/संस्था को निरमण्ड
के निर्माण हेतु निरमण्ड जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु। हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

ग्राम पंचायत... दुराह
दिनांक 01-07-2018 को... 10 A.M. गजे, स्थान निरमण्ड दुराह
में की गई, जिसमें... वन अधिकार विभाग/संस्था
को... निरमण्ड ग्राम पंचायत दुराह विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुन्तू हि0प्र0 विभाग/संस्था
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित... 2.899 हेक्टेयर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित... 2.899 हेक्टेयर वन भूमि को निरमण्ड ग्राम पंचायत दुराह विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुन्तू हि0प्र0 विभाग/संस्था निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा... दुराह की सहमति दी जाती है।

स्थान... निरमण्ड दुराह
दिनांक... 18/07/2018



प्रधान... नरेश कुमार
ग्राम पंचायत दुराह
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुन्तू (हि0प्र0)

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... नरेश कुमार
पंचायत सहायक... नरेश कुमार
ग्राम पंचायत दुराह
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुन्तू (हि0प्र0)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा दुराह

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति गुरमेल सिंह

दिनांक 01-07-18

गणपूर्ति 8/10

प्रस्ताव संख्या 03

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा दुराह की बैठक आज दिनांक 01-07-2018 को 2:30 बजे, स्थान पंचायत भवन, दुराह में श्री/श्रीमति गुरमेल सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें गुरमेल सिंह, शाकिल, मेरा, कल्या गांव/गांवों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हिमालय प्रोटेक्शन, दुराह जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें 21/3037-4.11 वोडा 4447 444 के निर्माण के लिए 2.899 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की नजदूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति U.P.F. सलीसी & दुराह का जंगल/वन क्षेत्र में ठोसापो-1 से शाकिलगांचा तक के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान दुराह
दिनांक 11/7/18



प्रधान
ग्राम गुरमेल सिंह
पिता गुरमेल सिंह
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

स्थान दुराह
दिनांक 11/7/18
वन अधिकार समिति
ग्राम दुराह
जिला कुल्लू (हि.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत दुराह

विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुल्लू (हि0प्र0)

क्रमांक

दिनांक.....

आज दिनांक 02-10-2016 को श्रीमति चन्द्रकान्ता प्रधान ग्राम पंचायत दुराह की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा बैठक में 243/480 उपस्थित सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 17 की वास्तविक प्रतिलिपि।

विषय:- वन अधिकार समिति के गठन बारे।

महोदय,

जय हिन्द।

बैठक में वन अधिकार समिति के गठन पर चर्चा की गई। जिस में चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न सदस्यों द्वारा गठित कमेटी का गठन किया गया।

क्र0सं0	सदस्य का नाम व पद	पिता/पति का नाम	गांव	वर्ग	पद
1	गुरमेल सिंह अध्यक्ष	झातू राम	दुराह	अ0जा0	अध्यक्ष
2	रमेश चन्द सचिव	मिसरू राम	लगौणी	अ0जा0	सचिव
3	बीजा राम सदस्य	मोली राम	दुराह	अ0जा0	सदस्य
4	अशोक कुमार सदस्य	हरी चन्द	शरठी	सामान्य	सदस्य
5	गिरजा देवी सदस्या	सन्दीप	शरठी	महिला	सदस्य
6	टिकमा देवी सदस्या	दिवान चन्द	मलथा	अ0जा0 महिला	सदस्य
7	लता देवी सदस्या	ज्ञान चन्द	कलोग	महिला	सदस्य
8	मीना कुमारी सदस्या	ओम प्रकाश	दुराह	अ0जा0 महिला	सदस्य
9	डोला राम सदस्या	मादू राम	डवारच	अ0जा0	सदस्य
10	भगत राम सदस्य	किमत राम	खोगू	अ0जा0	सदस्य

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव असल कार्यवाही पुस्तिका में सुरक्षित है।

प्रधान सचिव
वन अधिकार समिति
ग्राम पंचायत दुराह उप-सड0 नित्य
जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)



सचिव
ग्राम पंचायत दुराह
विकास खण्ड निरमण्ड
जिला कुल्लू (हि0प्र0)